संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–3/2017/108 भोपाल दिनांक 9/2/2017

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

समस्त अधीक्षक,
क्षय चिकित्सालय नौ गांव छतरपुर/ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकि. ईटारसी जिला होशंगाबाद/क्षय चिकित्सालय सागर/ मनोरमा राजे क्षय चिकि. इंदौर/ अधीक्षक क्षय चिकि. भोपाल, छिंदवाडा, ग्वालियर म.प्र.।

विषय :– शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हेतु दिशा निर्देशों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। संचालनालय स्तर से अध्ययन अवकाश स्वीकृति के पूर्व ही आपके स्तर से वेतन आहरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है, जो नियम के अनुरूप नहीं है।

प्रस्तुत आवेदन पत्रों में प्रायः यह देखने में आया है कि संबंधित के आवेदन संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाते। आवेदन पत्र सत्यापित करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों को निम्न दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाना होगा :–

- अध्ययन अवकाश फार्म के साथ संचालनालय स्तर से जारी चयन करने का अनुमति आदेश, प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्ति आदेश, प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति का प्रमाण पत्र ।
- संबंधित द्वारा प्रशिक्षण में प्रथम बार अध्ययन अवकाश लिया जा रहा है या पूर्व में ही उसका उपभोग कर लिया गया है का स्पष्ट उल्लेख करें।
- कर्मचारी का शासकीय सेवा अनुभव नियुक्ति दिनांक से गणना कर 5 वर्ष पूर्ण है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये अनुशंसा की जावें।
- यदि पूर्व में अध्ययन अवकाश लिया जा चुका है तो वर्तमान में उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर खाते में शेष अवकाश की गणना कर आवेदन पत्र अनुशंसा सहित अग्रेषित करें।
- प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति देने के दिनांक से एक माह के भीतर अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन भेजें।
- यदि प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तो प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्ति आदेश एवं पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने संबंधी रिपोर्ट।

अतः अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु उपरोक्त बिंदुओ के आधार पर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संचालनालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरणों पर विचार किया जा सके।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

E:\ggg\letter.docxE:\ggg\letter.docx

पृ.कमांक 9/नर्सिंग/सेल 3/2017/109 भोपाल दिनांक 9/2/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त जानकारी विभाग की बेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश